न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 12/2020 (उदयपुर डिक्री)

रामकृष्ण पिता शंकर जी ब्राहमण, निवासी अम्बावतपुरा सल्लाडा (हिन्दुकडी), तहसील सराडा, हाल मुकाम 354, सुरों का फला (नेला) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. उम्मेदराम पिता रतन जी ब्राहमण, निवासी सल्लाडा (हिन्दुकडी), तहसील सराडा, हाल गणेशपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. मु. चम्पाबाई पत्नी स्वर्गीय उम्मेदराम जी ब्राहमण, निवासी सल्लाडा (हिन्दुकडी), तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. भगवतीलाल पिता स्वर्गीय उम्मेदराम जी ब्राहमण, निवासी सल्लाडा (हिन्दुकडी), तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. विनोद पिता स्वर्गीय उम्मेदराम जी ब्राहमण, निवासी सल्लाडा (हिन्दुकडी), तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

2. श्रीमती केसर बाई पत्नी वेल जी ब्राहमण, निवासी बामनिया, तहसील व जिला सलुम्बर (राज.)

3. श्रीमती वगतबाई पत्नी पुरूषोत्तम जी ब्राहमण, निवासी बामनिया, तहसील व जिला सलुम्बर (राज.)

4. देवीलाल पिता रतन जी ब्राहमण, निवासी सल्लाडा (हिन्दुकडी), तहसील सराडा, हाल उमीया माता जी का मन्दिर, तहसील इडर, जिला साबरकांटा (गुजरात)

5. प्रेमशंकर पिता रतन जी ब्राहमण, निवासी अम्बावतपुरा सल्लाडा (हिन्दुकडी), तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

6. नानुराम पिता रतन जी ब्राहमण, निवासी सल्लाडा (हिन्दुकडी), तहसील सराडा, हाल उमीया माता जी का मन्दिर, तहसील इडर, जिला साबरकांटा (गुजरात)

7. शरद पिता शंकर जी ब्राहमण, निवासी अम्बावतपुरा सल्लाडा (हिन्दुकडी), तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

8. शान्तिलाल पिता शंकर जी ब्राहमण, निवासी अम्बावतपुरा सल्लाडा (हिन्दुकडी), तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
9. दिनेश पिता शंकर जी ब्राहमण (माता भूरीबाई), निवासी नई झर, हाल वनी, वीरानी टॉकीज रोड़, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र)
10. कन्हैयालाल पिता शंकर जी ब्राहमण (माता भूरीबाई), निवासी नई झर, हाल वनी, वीरानी टॉकीज रोड़, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र)
11. भूमिधारी तहसीलदार, सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, सराडा दिनांक
18.06.2015 प्रकरण सं0 132/2011

———/———

उपस्थित :— 1. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री आलोक जैन अभिभाषक रे. सं. 1/1 से 6

———::———

निर्णय **दिनांक 31—12—2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष नंगजी थे, जिनके दो पुत्र विश्रामजी व दलजी हुए। विश्रामजी का पुत्र रतनजी हुआ जो करीब 30 वर्ष पूर्व फोत हो चुका है। दलजी के दो पुत्र गंगाराम व मेघजी हुए तथा दोनों की क्रमशः 50 व 45 वर्ष पूर्व कुंआरे फोत होने से उनका चचेरा भाई रतनजी उनका वारिस हुआ। रतनजी के वारिस पत्नी गंगाबाई भी करीब 25 वर्ष पूर्व फोत हो चुकी है तथा पुत्र उम्मेदराम वादी संख्या 1, पुत्री केसरबाई वादी संख्या 2, पुत्री वगतबाई वादी संख्या 3, पुत्र देवीलाल वादी संख्या 4, पुत्र प्रेमशंकर वादी संख्या 5, पुत्र नानुराम वादी संख्या 6 तथा पुत्री भूरीबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 व 6 क्रमशः दिनेश व कन्हैयालाल हैं तथा एक अन्य पुत्री पूंजीबाई प्रतिवादी संख्या 1 है, जिसके पुत्र शरद, शान्तिलाल व रामकृष्ण हैं, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 हैं। इसके अलावा रतनजी के अन्य कोई वारिस नहीं है।

मौजा सल्लाडा, तहसील सराड़ा में खाता संख्या 154 संवत् 2016 से 2019 की जमाबन्दी में स्वर्गीय मेघजी पिता दलाजी के खाते में दर्ज थी जो कुंवारे फोत होने से उनके एक मात्र वारिस उनके चचेरे भाई रतनजी हुए। उक्त खाते के साबिक आराजी नंबर 1097, 1103 से 1108, 1115 से 1118, 1759, 1771, 1773, 2095,2096, 2142, 2165 कुल किता 17 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा है।

इसी प्रकार मौजा सल्लाडा में खाता संख्या 155 संवत् 2016 से 2019 की जमाबन्दी में स्वर्गीय मेघजी पिता दलाजी के खाते में दर्ज थी जो कुंवारे फोत होने से उनके एक मात्र वारिस उनके चचेरे भाई रतनजी हुए। उक्त खाते के साबिक आराजी नंबर 785 से 789, 792, 793,794, 820, 823, 824, 2097, 2111, 2138, 2155, 2149, 2152,2153, 2187, 2188, कुल किता 19 एवं आराजी नंबर 1096/2, 2146,2150 कुल किता 2 कुल किता 21 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है।

उक्त वाद पत्र की कलम संख्या 3 व 4 में वर्णित भूमियां बिना वादीगण एवं रतनजी को सूचना दिये चुपचाप स्वर्गीय खातेदार मेघजी के निधन के बाद पूरी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पूंजीबाई ने इन्तकाल नंबर 1933 दिनांक 03–08–1977 से रतनजी के बजाय अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि मेघजी ने पूंजीबाई को कभी गोद नहीं रखा। उक्त साबिक आराजियात के जो हाल आराजी नंबर बने हैं वह मौजा खेतावतपुरा, सल्लाड़ा एवं मौजा अम्बावपुरा में स्थित है, जिसका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 6 ''क'' की आराजी नंबर 1106 से 1108, 6007, 6008, 6013 से 6017, 9943/6005 कुल खेत 11 रकबा 1.62 हैक्टर, कलम संख्या 6 ''ख'' की आराजी नंबर 6367 से 6376, 6378, 6391, 6392, 6396 से 6398, 6401, 6402 कुल खेत 18 रकबा 3.07 हैक्टर एवं कलम संख्या 6 ''ग'' की आराजी नंबर 5825, 5838 से 5840, 5847, 5859, 5862, 5890, 5891, 5905, 5919, 2929, 2965 से 2968, 2976 कुल खेत 17 रकबा 1.11 हैक्टर है।

उपरोक्त आराजियात में वादी संख्या 1 उम्मेदराम का 1/6 हिस्सा, रतनबाई व श्रीमती गंगाबाई के निधन [illegible] विरासत से 1/6 + 1/6 =

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

1/3 हिस्सा यानि 1/3 हिस्से में से वादी नंबर 1 का हिस्सा 1/3 x 1/8 = 1/24 इस प्रकार वादी संख्या 1 का कुलिया हिस्सा 1/6 + 1/24 = 5/24 हिस्सा है। इसी प्रकार वादी संख्या 4 का 5/24 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 5/24 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 5/24 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती पूंजीबाई को पिता रतनजी व माता गंगाबाई के निधन के बाद विरासत से प्राप्त हिस्सा 1/6 + 1/6 = 1/3 हिस्से का 1/8 हिस्सा यानि 1/24, वादी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का जो उनकी माता भुरीबाई के निधन के बाद विरासत से प्राप्त हुआ 1/24 हिस्सा है। अतः उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि मेघजी ने श्रीमती पूंजीबाई को गोद रखा था, जिस कारण मेघजी की भूमि पूंजीबाई के खाते में आयी है, जिसकी पुष्टि वादीगण के अधिवक्ता श्री गोविन्दलाल डांगी के द्वारा दिनांक 22–11–1990 को प्रतिवादी पूंजीबाई के पति शंकरलाल की ओर से वादी उम्मेदसिंह के खिलाफ लिखी थी, जिसकी कलम संख्या 3 में अंकित किया है कि प्रार्थी मेघजी के घर पर घरजमाई रहा है। इस तथ्य से वादीगण के अधिवक्ता भली भांति परिचित हैं तथा दिनांक 01–07–2002 को उम्मेदराम, देवीलाल, प्रेमशंकर के द्वारा भी गांव सल्लारा के मौतबिरान के समक्ष स्वीकार किया है कि हमारी बहन पूंजीबाई काका मेघजी के गोद रही है। इससे साबित होता है कि पूंजीबाई मेघजी के गोद रही। प्रतिवादी पूंजीबाई विवादित भूमि की खातेदार होकर काबिज है, इस कारण वादीगण का विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18–06–2015 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वादीगण का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–02–2020 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से [illegible] से अधिवक्ता श्री आलोक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

जैन उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी, न ही सुना गया। अपीलान्ट अपनी गांव में निवास नहीं कर 10 वर्षो से उदयपुर में निवास कर रहा है। दिनांक 22–01–2020 को अपीलान्ट अपने गावं गया तो उसे उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट गांव में ही निवास कर रहा है तथा उन्हें शुरू से ही निर्णय व डिक्री की जानकारी थी, दिनांक 22–01–2020 को जानकारी होने का कथन गलत है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट की माता पूंजीबाई व उसके भाई शान्तिलाल ने आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अपीलान्ट विपक्षी संख्या 7 था तथा उसके द्वारा दिनांक 27–01–2016 को जबाब पेश किया गया है। अपील करीब 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 19–06–2013 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हुए हैं तथा दिनांक 18–10–2013 को वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 18–06–2015 को लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की गयी है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट/प्रार्थी को प्रथम दृष्टया होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने [illegible] निर्णयों में यह सिद्धान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिपारित किये हैं कि जहां तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे। अतः न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुए देरी को क्षमा की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06–02–2014 की पेशी नियत थी, उस दिन पीठासीन अधिकारी भ्रमण/अवकाश पर होने की सील लगाकर आगे पेशी दी गयी, जिसे काटकर अपीलान्ट को बिना सूचना दिये दिनांक 18–06–2015 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर फर्द अहकाम निर्णय पारित कर दिया तथा प्रथक से निर्णय लिखाये जाने का उल्लेख है, जबकि पत्रावली पर प्रथक से कोई निर्णय संलग्न नहीं है, न ही उक्त आदेशिका से यह स्पष्ट होता है की वाद खारिज हुआ या डिक्री किया गया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि राजस्व लोक अदालतों में वही प्रकरण रखे जाते जहां दोनों पक्ष सहमत हों, किन्तु अपीलान्ट की बिना सहमति के तथा बिना बिना कोई सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दी गयी निर्णय व डिक्री की कोई असल प्रति उपलब्ध नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के सम्मन नई झर, हाल मुकाम सल्लाडा, तहसील सराडा पर जारी किये गये, जबकि अपीलान्ट 10–11 वर्षो से उदयपुर में निवास करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के विवादित आराजियात में वादीगण को 5/24 हिस्से का खातेदार घोषित करने में भारी भूल की है, जबकि वादीगण का विवादित आराजियात में किसी प्रकार कोई हक व अधिकार नहीं है, क्योंकि विवादित आराजियात में खातेदार मेघ जी थी, जिन्होंने अपने जीवनकाल में रतनजी की पुत्री पूंजी बाई को जाति रस्म, रिवाज अनुसार गोद रखा तथा रतनजी की पत्नी गंगाबाई ने अपनी पुत्री को गोद दिया तथा गोदनामा भी लिखा गया, जिस पर ग्राम पंचायत सल्लाडा के सरपंच की सील व हस्ताक्षर हैं। मेघ जी मृत्यु के बाद गोदीना पुत्री पूंजी बाई के नाम नामान्तरकरण संख्या 1993 दिनांक 03–10–1997 से स्वीकृत हुआ तथा पूंजी बाई मेघ जी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

समस्त जायदाद पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। पूंजी बाई ने अपने जीवनकाल में अपने खातेदारी की आराजी नंबर 1106 से 1108, 5825, 5838 से 5840, 5847, 5859, 5862, 5890, 5891, 5905, 5919, 2929, 2965 से 2968, ,6007, 6008, 6013 से 6017, 6367 से 6376, 6378 कुल कितर 39 रकबा 4.2700 हैक्टर भूमि अपने पुत्र अपीलान्ट रामकृष्ण पाण्डे को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 09–03–2011 को निष्पादित कर दी, तब से उक्त आराजियात पर अपीलान्ट का स्वामित्व व आधिपत्य चला आ रहा है तथा शेष बची भूमि मकान व अन्य सम्पत्ति पूंजी बाई द्वारा अपनी पुत्र बधु श्रीमती शारदा मीणा पत्नी रामकृष्ण पाण्डे के पक्ष में वसीयत कर दी। पूंजी बाई का स्वर्गवास दिनांक 23–05–2018 को हो चुकी है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट व उसकी पत्नी शारदा देवी काबिज काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड दान पत्र को रेस्पोन्डेन्टगण जब तक सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त नहीं करा ले, तब तक राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। पूंजी बाई की उक्त विवादित सम्पत्ति को लेकर रामकृष्ण पाण्डे के विरूद्ध पूर्व में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर में सी.आई.एस. संख्या 10926/2014 संस्थित हुआ था, जिसका निर्णय दिनांक 08–01–2021 को अपीलान्ट के पक्ष में हुआ है, जिसके विरूद्ध आज दिनांक का कोई अपील व निगरानी पेश नहीं की गयी है। पूंजी बाई की बहन स्वर्गीय श्रीमती केसर बाई पत्नी वेलजी ने अपने जीवनकाल में 100/– रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र लिखकर दिया है, जिसमें उसने पूंजी बाई के मेघजी के गोद जाना स्वीकार किया है तथा वादचन्द पिता गंगाजी पटेल ने भी 100/– रूपये के स्टाम्प पर पूंजी बाई के मेघजी के गोद जाना बताया है तथा 22 बीघा भूमि पूंजी बाई द्वारा अपने पुत्र अपीलान्ट रामकृष्ण पाण्डे के पक्ष में दान करना स्वीकार किया है। आज दिनांक तक उक्त भूमि पर अपीलान्ट व उसकी पत्नी शारदा देवी मीणा का स्वामित्व व आधिपत्य चला आ रहा है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये दिनांक 18–06–2015 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर फर्द अहकाम पर निर्णय पारित कर दिया तथा प्रथक से निर्णय लिखाये जाने का उल्लेख है, जबकि पत्रावली पर प्रथक से कोई निर्णय संलग्न नहीं है, न ही उक्त आदे[illegible] का [illegible] यह स्पष्ट होता है की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्टगण का वाद खारिज हुआ या डिक्री किया गया, न ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई असल प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पूंजी बाई के नाम नामान्तरकरण 1977 में स्वीकृत हुआ है, जबकि दावा 2011 में किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 1998 RRD Page 319 (HC), 1999 RRD Page 173 (SC), 2016 WLN Page 47, 2023 (1) RRT Page 247, 2024 (1) RRT Page 225 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि जहां कुछ भिन्न तथ्य नहीं हों, वहां तनकी की आवश्यकता नहीं होती है। पूंजी बाई को मेघजी ने कभी भी गोद नहीं रखा, गोद पुत्री के संबंध में मात्र सरपंच का दस्तावेज है। अपील मीमों में वसीयत के नये तथ्य अंकित किये हैं। Adoption Act की धारा 10 के अनुसार गोद लेने वाले की उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। पूंजी बाई के नाम का कोई दस्तावेज नहीं है। रामकृष्ण को अपील लाने का ही अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2022 (1) RRT Page 165 (SC), 2022 (1) RRT Page 221, 2008(1) RRT Page 165, 2023 (2) RRT Page 954, AIR 2005 S.C. Page 3460, Supreme Court Judgment Shingara Singh v/s Daljit Singh, WLC (SC) 2007 (2) Page 256, Supreme Court Order State of Madhya Pradesh v/s Ram Kumar Choudhary, RLW 2019 (3) Page 1824 (Raj.), WLC (SC) 2015 (4) Page 566 प्रस्तुत की

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया, जिससे निम्न तथ्य प्रकट होते हैं :–

1. प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वाद एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियांत कायम कर साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

2. आदेशिका दिनांक 18–10–2013 अनुसार वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। इसके बाद दिनांक 25–10–2013 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण/अवकाश पर होने से दिनांक 12–12–2013 की पेशी नियत की गय। उक्त दिनांक 12–12–2013 को भी पीठासीन अधिकारी भ्रमण/अवकाश पर होने से दिनांक 06–02–2014 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 06–02–2014 को सीधे ही करीब एक वर्ष चार माह बाद की पेशी दिनांक 18–06–2015 नियत की गयी, जिसे कांट के बाद में अंकित किया जाना प्रकट होता है, जिससे उक्त आदेशिका संदिग्ध प्रकट होती है।

3. दिनांक 18–06–2015 की आदेशिका अनुसार प्रकरण राजस्व अभियान ग्राम पंचायत सल्लाडा में रखा जाकर विस्तृत निर्णय अलग से लिखाये जाने का अंकन है, किन्तु पत्रावली पर अलग से कोई भी निर्णय उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि जिस डिक्री की अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, वह भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आदेशिका में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि वादीगण का वाद डिक्री किया गया अथवा खारिज किया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय संदेहास्पद प्रकट होता है।

4. जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 अनुसार विवादित आराजियात मेघजी के खातेदारी की थी तथा मेघजी द्वारा अपने चचेरे भाई रतनजी की पुत्री पूंजी बाई को गोद रखे जाने के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1933 दिनांक 03–08–1977 पूंजी बाई के पक्ष में स्वीकृत हुआ है तथा हाल जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजियात अपीलान्ट की माता पूंजी बाई के खातेदारी में दर्ज है।

5. अपीलान्ट द्वारा हमारे सम्मुख आदेश 41 नियम 27 के आवेदन के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं, जिसके अनुसार अपीलान्ट की माता पूंजी बाई मेघजी के गोद जाना एवं मेघजी द्वारा अपनी समस्त आराजियात का वसीयत पूंजी बाई के पक्ष में किया जाना प्रकट होता है, जिसकी पुष्टि अमरसिंह पिता वगतसिंह झुंझावत राजपूत, श्रीमती

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

केसर बाई पत्नि वेलजी पाण्डे, गणपतलाल पिता लालजी ब्राहमण, वालचन्द पिता गंगाजी पटेल के शपथ पत्रों से भी होती है।

6. आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 26–07–2017 अनुसार वादी उम्मेदसिंह ने स्वयं अपनी बहन पूंजी बाई को मेघजी के गोद जाना स्वीकार किया है।

7. अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत दान–पत्र अनुसार श्रीमती पूंजी पत्नी शंकर जी पाण्डे द्वारा दिनांक 09–03–2011 को रजिस्टर्ड दान पत्र अपने पुत्र अपीलान्ट रामकृष्ण के पक्ष में किया जाना प्रकट होता है।

8. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग क्र.सं. 2 उत्तर उदयपुर में अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08–01–2021 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट रामकृष्ण पाण्डे को दोषमुक्त घोषित किया है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 18–06–2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये बिन्दुओं पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर तथा पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार तनकीवार नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24–02–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 31–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested